

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मरूसी बाईपास रोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं०-6 के समीप)

पत्रांक : 936 / म०नि०नि० / 2022-23

दिनांक : 16 फरवरी, 2023

सेवा में,

1. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) /
जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
2. सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संबंध में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-09 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 603/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-09/2009/R.T.I दिनांक 14 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में मण्डल स्तर पर लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट कार्य हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किया गया है।

अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोक्त।


भवदीय,


(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबंधन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
2. मण्डलायुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।


सहायक महानिरीक्षक निबंधन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
 वित्त अनुभाग-9
 संख्या-603/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-09/2009/R.T.I
 देहरादून: दिनांक 14 फरवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में मण्डल स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाईयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट कार्य हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

मण्डलीय स्तर

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहा० लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
1.	मण्डल कार्यालय गढ़वाल मण्डल पौड़ी	(1)जिला निबन्धन देहरादून	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक देहरादून	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
		(2)सहायक महानिरीक्षक निबन्धन देहरादून	देहरादून	
	हरिद्वार	(1)जिला निबन्धन हरिद्वार	मुख्य निबन्धन लिपिक / वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक हरिद्वार	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
		(2)सहायक महानिरीक्षक हरिद्वार	हरिद्वार	
		जिला निबन्धक, चमोली	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, चमोली	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
		जिला निबन्धक रुद्रप्रयाग	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, रुद्रप्रयाग	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
		जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, पौड़ी गढ़वाल	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
	जिला निबन्धक, टिहरी	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, टिहरी	मण्डलायुक्त	

(2)

		गढ़वाल	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, टिहरी गढ़वाल	गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
		जिला निबन्धक, उत्तरकाशी	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, उत्तरकाशी	मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
2.	मण्डल कार्यालय कुमाऊँ मण्डल नैनीताल	(1) जिला निबन्धक, नैनीताल	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, नैनीताल	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
		(2) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, नैनीताल	नैनीताल	
		(1) जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, ऊधमसिंहनगर	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
		(2) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	
		जिला निबन्धक, अल्मोड़ा	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, अल्मोड़ा	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
		जिला निबन्धक, बागेश्वर	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, बागेश्वर	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
		जिला निबन्धक, चम्पावत	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, चम्पावत	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
		जिला निबन्धक, पिथौरागढ़	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, पिथौरागढ़	मण्डलायुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

2- प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकांश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निर्वहन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।

3- उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु

3

उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

उक्त आदेश इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-387/
XXVII(5)/स्टाम्प/2005 दिनांक 13.10.2005 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

Signed by Devendra

Paliwal

Date: 14-02-2023 14:33:59

(देवेंद्र पालीवाल)

अपर सचिव।

संख्या-63(1)/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-09/2009/R.T.I तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)

उप सचिव।